

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 3455

=====

1. बिक्रमा सिंह पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह गाँव-मैरी मकसुसपुर, पो०-चकियां, थाना-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान
2. राजेंद्र प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय राधा मोहन सिंह ग्राम-कारीपुर, पो०- नवीगंज बाजार, थाना- बसंतपुर, जिला-सिवान

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन संगठन, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बनवारी शर्मा, अधिवक्ता

: श्री शिव कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री एस.सी-9

=====

सेवा विधि - वसूली - विपक्षी पक्ष कोई भी स्तर पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं याचिकाकर्ताओं पर कि वे दुर्य्यपदेशन या कपट से वेतन के गलत निर्धारण, भव्य वेतन देने के उद्देश्य से गलत तरीके से प्रस्तुत किया है - विपक्षी पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उनकी गलती के कारण और कानून के सिद्धांत के अनुसार गलत वेतन निर्धारण किया गया था - रफीक मसीह के मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुसरण/ पालन करते हुए कोई भी वसूली याचिकाकर्ताओं से नहीं किया जाएगा - दिनांक 26.12.2011 वाला आदेश कुछ दिशानिर्देशों के साथ अभिखंडित किया जाता है - आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पारा 11 से 13)

ए.आई.आर 2015 एस.सी 696 - निर्भर किया गया

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा

सी. ए. वी. निर्णय

तारीख: 16-04-2024

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बनवारी शर्मा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया।

2. वर्तमान रिट आवेदन मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन एवं अनुसंधान, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर से दिनांक 26.12.2011 को जारी किए गए आदेश (अनुलग्नक-19) को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रधान लिपिक के पद पर उनकी पदोन्नति की तिथि को स्थानांतरित करने और प्रधान सहायक के आवश्यकता आधारित पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता संख्या 1 की पदोन्नति को भी रद्द करने के संबंध में दायर आवेदन को बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादियों को आगे निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं को प्रधान लिपिक के पद पर दी गई पदोन्नति की तिथि को न बदलें और न ही प्रधान सहायक के आवश्यकता आधारित पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता संख्या 1 को दी गई पदोन्नति को रद्द करें और याचिकाकर्ताओं को उनकी पदोन्नति तिथि के स्थानांतरण और रद्द करने के कारण वसूली गई वसूली राशि सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान करें।

3. याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में क्रमशः 15.02.1978 और 01.07.1972 को सिंचाई विभाग में पत्राचार लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसरण में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 30.12.1981 को संकल्प संख्या 10770 जारी किया गया, जिसके द्वारा समयबद्ध पदोन्नति योजना शुरू की गई। इसके बाद, राज्य सरकार ने 29.04.1985 को एक आदेश जारी कर समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने के लिए नियम 157(3)(जे) में कुछ संशोधन किए। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक क्लर्क ने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली है, तब तक उसकी सेवा की पुष्टि नहीं की जा सकती है या उसे दक्षता बार पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें आगे यह प्रावधान है कि चयन में पदोन्नति क्लर्क द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर की जाएगी। संशोधित नियमावली की धारा 9 में यह प्रावधान है कि किसी वरीय लिपिक द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न किए जाने की स्थिति में विभागीय स्तर पर प्रोन्नति के लिए ऐसे कनीय लिपिक पर विचार किया जा सकता है, जिसने लेखा परीक्षा में

सभी प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर लिए हों। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना समयबद्ध एवं चयन ग्रेड प्रोन्नति के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया। बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 6021 दिनांक 18.12.1989 द्वारा समयबद्ध प्रोन्नति योजना के पूर्व आदेश में कुछ परिवर्तन किए गए। इस संकल्प द्वारा किया गया एकमात्र परिवर्तन यह था कि वरीय चयन ग्रेड स्केल के अंतर्गत प्रोन्नति 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दी जाएगी, परंतु कनीय चयन ग्रेड स्केल की पूर्व संरचना यथावत रहेगी।

4. पुनः केन्द्रीय वेतनमान के पैटर्न पर वेतनमान को राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प संख्या 660 दिनांक 08.02.1999 के तहत दिनांक 01.01.1996 से संशोधित किया गया। इस संकल्प द्वारा सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक सरकार द्वारा नया नीतिगत निर्णय निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक जूनियर सेलेक्शन ग्रेड/सीनियर सेलेक्शन ग्रेड/सुपर टाइम सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति आवश्यकता आधारित पद पर की जाएगी। याचिकाकर्ताओं को प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था जो जूनियर सेलेक्शन ग्रेड की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात, याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों की पदोन्नति को कार्यालय आदेश ज्ञापन संख्या 2194 दिनांक 09.04.1997 द्वारा रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9783/1997 के तहत रिट आवेदन दायर किया था, जिस पर 05.08.1999 को सुनवाई हुई तथा उसका निपटारा किया गया, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अध्यादेश की धारा 6 के आलोक में याचिकाकर्ता की पदोन्नति के प्रश्न पर तीन महीने के भीतर निर्णय लें।

5. माननीय न्यायालय द्वारा 05.08.1999 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9783/1997 में पारित निर्देश के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर 1400-2600 वेतनमान वाले वरिष्ठ चयन ग्रेड-सह-प्रधान लिपिक में पदोन्नति के लिए विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ चयन ग्रेड और वरिष्ठ चयन ग्रेड में पदोन्नति मेमो संख्या 1655 दिनांक 18.11.1999 के आदेश द्वारा दी गई, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 15.07.1985 को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें 15.02.1986 से कनिष्ठ चयन ग्रेड और 15.02.1991 से वरिष्ठ चयन ग्रेड में पदोन्नति प्रदान की गई, याचिकाकर्ता संख्या 2 को 15.02.1991 से कनिष्ठ चयन ग्रेड में पदोन्नति प्रदान की गई। 01.04.1981 से वरिष्ठ चयन ग्रेड और 05.11.1991 से वरिष्ठ चयन ग्रेड और उन्होंने 04.11.1991 को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

6. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9783/1997 में पारित आदेश दिनांक 05.08.1999 के अनुसरण में याचिकाकर्ता संख्या 1 को दिनांक 18.11.1999 के आदेश द्वारा जूनियर चयन

ग्रेड और वरिष्ठ चयन ग्रेड स्केल में पदोन्नति प्रदान की गई है और उन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 08.02.1999 (अनुलग्नक-4) के आलोक में 4500-7000 का संशोधित वेतनमान भी प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 2 को ज्ञापन संख्या 110 दिनांक 25.01.2000 के कार्यालय आदेश द्वारा जूनियर चयन ग्रेड स्केल और सीनियर चयन ग्रेड स्केल प्रदान किया गया था और उन्हें दिनांक 01.04.2000 से प्रधान लिपिक के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 08.02.1999 (अनुलग्नक-5) के आलोक में दिनांक 01.01.1996 को जारी अधिसूचना।

7. याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 15.07.1985 को तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 04.11.1991 को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 08.02.1999 तथा संचार पत्र संख्या 5552 दिनांक 23.07.2003 के आलोक में केंद्रीय डिजाइन संगठन में याचिकाकर्ताओं तथा अन्य के मामले पर मुख्य अभियंता द्वारा विचार किया गया तथा विचार के समय प्रधान सहायक के केवल तीन पद थे, विभाग ने प्रथम पद पर राज बल्लभ राम को प्रधान लिपिक के आवश्यकता आधारित पद के विरुद्ध 01.01.1996 से तथा प्रधान सहायक के पद के विरुद्ध 01.10.2002 से पदोन्नति प्रदान की है। इससे पहले जवाहर लाल नामक व्यक्ति ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4348/2000 के तहत रिट आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह सेवा संवर्ग में नियुक्ति की तिथि के आधार पर याचिकाकर्ता संख्या 1 से वरिष्ठ था और तदनुसार उसे हेड क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उसे क्लर्क के पद पर वापस कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4348/2000 में पारित दिनांक 07.07.2005 के आदेश के तहत मुख्य अभियंता को याचिकाकर्ता (जवाहर लाल) की इस शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया है कि उनसे कनिष्ठों को प्रधान लिपिक बना दिया गया है तथा उन्हें प्रधान लिपिक के पद से वापस कर दिया गया है तथा दिनांक 07.07.2005 के आदेश के अनुसार जवाहर लाल के मामले पर विभाग द्वारा विचार किया गया तथा उन्हें याचिकाकर्ता संख्या 1 से ठीक ऊपर रखा गया तथा प्रधान सहायक का तीसरा पद जिस पर याचिकाकर्ता संख्या 1 को पहले पदोन्नत किया गया था, जवाहर लाल द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया, तब याचिकाकर्ता संख्या 1 ने मुख्य अभियंता के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उन्हें वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में प्रधान सहायक के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई है तथा उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें प्रधान सहायक के रूप में पदोन्नत किया जाए।

8. इसके बाद, राम शंकर सिंह ने भी सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10207/2009 के तहत एक रिट आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता संख्या 1 उनसे

कनिष्ठ है और उसे 01.01.1996 से प्रधान लिपिक के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई है, इसलिए राम शंकर सिंह को भी 01.01.1996 से प्रधान लिपिक के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाए और दिनांक 21.08.2009 के आदेश द्वारा इस माननीय न्यायालय ने मुख्य अभियंता को याचिकाकर्ता (राम शंकर सिंह) के अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है और यदि उसकी पदोन्नति की तिथि पीछे खिसकाई जाती है तो उसे भी परिणामी लाभ दिया जाना चाहिए। अनुलग्नक-12 में निहित दिनांक 19.01.2010 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 की पदोन्नति की तिथि 01.01.1996 से 01.04.2008 प्रधान लिपिक के रूप में तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 की पदोन्नति की तिथि 01.01.1996 से 01.02.2001 प्रधान लिपिक के रूप में स्थानांतरित कर दी गई है तथा श्री जवाहर लाल को 01.07.2001 से प्रधान लिपिक तथा 01.12.2001 से प्रधान सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आक्षेपित आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा वर्तमान आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता का वेतनमान याचिकाकर्ता की ओर से की गई किसी गलतबयानी के कारण नहीं बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले में एआईआर 2015 एस.सी.696** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

“5. यह सच है कि अपीलकर्ता के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता छूट पाने का हकदार नहीं है। प्रिंसिपल ने उसे छूट देने में गलती की है। छूट की तिथि से अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जा रहा था। हालांकि, यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी गलत बयान के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है, बल्कि प्रिंसिपल द्वारा गलत निर्माण के कारण ऐसा हुआ है, जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता। इन परिस्थितियों में अब तक भुगतान की गई राशि अपीलकर्ता से वसूल नहीं की जा सकती। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर लागू नहीं होगा। अपील आंशिक रूप से लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना स्वीकार की जाती है।

9. समानता का सिद्धांत एक गतिशील और विकासशील अवधारणा है जिसके कई आयाम हैं। समानता के सिद्धांत का मूर्त रूप भारत के संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 14 से 18 में पाया जा सकता है, जो "मौलिक अधिकारों" से संबंधित है। संविधान के ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करने के अलावा रोजगार के मामलों में समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से भेदभाव को भी अस्वीकार करते हैं; समाज के बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करते हैं; और समाज के एक वर्ग की स्थिति को कम करने के लिए उपाधियों को समाप्त करते हैं। समानता के सिद्धांत का मूर्त रूप भारत के संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 38, 39, 39A, 43 और 46 में भी पाया जा सकता है, जो "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों" से संबंधित हैं। भारत के संविधान के इन अनुच्छेदों में राज्य को यह अधिदेश दिया गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, अन्य बातों के साथ-साथ मौद्रिक असमानताओं को कम करके, आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करके, जीवन के उचित मानक को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मजदूरी प्रदान करके और कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देकर।

10. उपर्युक्त संवैधानिक अधिदेश के मद्देनजर, इस देश के लोगों की आजीविका के मामले में समानता और अच्छे विवेक को सभी सरकारी कार्यों का आधार होना चाहिए। किसी कर्मचारी से वसूली का आदेश देने वाली राज्य की कार्रवाई तब तक उचित होगी, जब तक कि उसे इस हद तक अन्यायपूर्ण नहीं माना जाता है कि वसूली की कार्रवाई नियोक्ता के राशि वसूलने के संगत अधिकार से अधिक अनुचित, अधिक गलत, अधिक अनुचित और अधिक अनुचित होगी। या दूसरे शब्दों में, जब तक वसूली का कर्मचारी पर कठोर और मनमाना प्रभाव न पड़े, तब तक यह कानून में अनुमेय होगा। दिए गए परिस्थितियों में बार-बार पारित आदेश, यहां तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति के प्रयोग में भी, वसूली की कार्रवाई (कर्मचारी को

भुगतान की गई अतिरिक्त राशि) के दायरे के मापदंडों का खुलासा करेंगे जो राज्य के इस देश के नागरिकों के प्रति दायित्वों का उल्लंघन करेंगे और कार्रवाई को मनमाना बना देंगे, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित जनादेश का उल्लंघन करेंगे।

11. उपरोक्त निर्धारण के लिए, हम इस न्यायालय के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करेंगे, जिसमें कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रश्न विचार के लिए आया था, और इस न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें पूरे देश में उच्च न्यायालयों ने बार-बार और नियमित रूप से व्यक्त मापदंडों पर किए गए वसूली के आदेशों को रद्द कर दिया है।

12. उन सभी कठिनाई की स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानून में अनुमेष नहीं होगी:

(i) श्रेणी III और श्रेणी-IV सेवा (या समूह 'सी' और समूह 'डी' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे उचित रूप से निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी। ”

9. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता संख्या 1 को 31.01.2010 से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और याचिकाकर्ता संख्या 2 को भी 31.03.2008 को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और आरोपित आदेश याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति के बाद यानी 26.12.2011 को पारित किया गया था।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूर्व में लिपिक संवर्ग की वरीयता मूल विभाग अर्थात् जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा बनाए रखी गई थी, बाद में इस मामले में उनकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर मुफस्सिल संवर्ग अनुरक्षण अध्यादेश संख्या 1035/1998 की वरीयता (ग्रेडेशन) बनाए रखने का निर्देश दिया गया तथा निर्देशानुसार, किसी भी विसंगति के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करते हुए पत्र संख्या 271 दिनांक 20.02.1999 द्वारा मुफस्सिल संवर्ग के लिए प्रथम अनंतिम ग्रेडेशन सूची अधिसूचित की गई। याचिकाकर्ता संख्या 1 को क्रम संख्या 43 (का) पर रखा गया। उन्हें दिनांक 20.02.1999 से जूनियर चयन ग्रेड दिया गया। 15.02.1986 को और 15.02.1991 को वरिष्ठ चयन परीक्षा 15.07.1985 को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर। वित्त विभाग के आदेश संख्या 8094 दिनांक 21.01.2000 द्वारा, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता उन कर्मचारियों के लिए शिथिल कर दी गई थी जिन्हें 01.09.1983 से पहले पदोन्नत किया गया था या उनकी पदोन्नति होनी थी। कुछ कर्मचारियों ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10207/2009 और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4348/2000 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था, जिसके द्वारा उन्होंने प्रधान लिपिक और प्रधान सहायक के लिए ग्रेडेशन सूची में अपनी स्थिति और अंकन की प्रभावी तिथि को चुनौती दी थी। दोनों रिट याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश पारित किया गया तथा तत्पश्चात प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा 01.01.1996 को तैयार की गई ग्रेडेशन सूची के सम्पूर्ण मामले की गहन समीक्षा की गई, जो कि पूर्वोक्त संबंधित आदेशों, विभागीय आदेश संख्या 2207 दिनांक 03.09.2005 तथा वित्त विभाग के आदेश संख्या 8094 दिनांक 21.11.2000 के अनुसार संवर्ग में उनकी प्रथम नियुक्ति के आलोक में की गई, जिसके द्वारा 01.09.1983 से पूर्व पदोन्नत अथवा नियत पदोन्नति वाले कर्मचारियों को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में छूट दी गई। सम्पूर्ण मामले की समीक्षा के पश्चात विभाग के आदेश संख्या 60 दिनांक 19.01.2010 द्वारा सम्पूर्ण पिछली

ग्रेडेशन सूची को पुनः व्यवस्थित किया गया, जिसमें विभिन्न पत्रों एवं तिथियों के माध्यम से जारी सभी पूर्व आदेशों को निरस्त कर दिया गया, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को ग्रेडेशन 43(का) पर रखा गया तथा 01.01.1996 के स्थान पर 01.04.2008 को प्रधान लिपिक के लिए चिन्हित किया गया तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को ग्रेडेशन 22 पर रखा गया तथा 01.01.1996 के स्थान पर 01.02.2001 को प्रधान लिपिक के लिए चिन्हित किया गया। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने कार्यालय आदेश संख्या 60 दिनांक 19.01.2010 को रद्द करने के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4501/2010 के तहत एक नई रिट याचिका दायर की थी और इसका निपटान दिनांक 06.09.2011 के आदेश के तहत कुछ निर्देशों के साथ और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4501/2010 में पारित दिनांक 06.09.2011 के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। उत्तर देने वाले प्रतिवादियों ने 21.11.2011 को सुनवाई की तारीख तय की और विभाग ने भी याचिकाकर्ताओं को पत्र संख्या 1067 दिनांक 09.11.2011 के जरिए निश्चित तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन और अनुसंधान, जल संसाधन विभाग, सरकार को मामले की सुनवाई के लिए बुलाया। बिहार, पटना ने ज्ञापन संख्या 1203 दिनांक 26.12.2011 के माध्यम से सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया, जो वर्तमान रिट याचिका में आरोपित है और यह पाया कि कार्यालय आदेश संख्या 60 दिनांक 19.01.2010 प्रभावी होगा और वर्तमान मामले में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है।

11. पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, मैं पाता हूं कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से वेतन निर्धारण, ग्रेड वेतन प्रदान करने के उद्देश्य से गलत बयान दिया है या धोखाधड़ी की है, वास्तव में प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि उनकी गलती के कारण गलत वेतन निर्धारण किया गया था और **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (सुप्रा)** के मामले में स्थापित कानून के सिद्धांत के अनुसार याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, सबसे पहले, चूंकि वे वसूली आदेश पारित करने से पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं और दूसरे चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा गलत वेतन निर्धारण/ग्रेड वेतन के गलत अनुदान के लिए कोई गलत बयान या धोखाधड़ी नहीं की गई है, हालांकि प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली करने से रोक दिया गया है।

12. इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामला **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है, खासकर

इसलिए कि याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और दूसरी बात यह है कि यह प्रतिवादियों की गलती है, जो वेतन के गलत निर्धारण के कारण याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त भुगतान है। इस न्यायालय के पास वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 26.12.2011 के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और प्रतिवादी अधिकारियों को तदनुसार कार्य करने और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त / उत्पादन की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

13. तदनुसार, यह रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(राजेश कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

नितेश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।